3-4-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी उप० नहीं। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी के तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद प्रयत्न के वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी न्यायालय में उप० नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner